रेल दावा न्यायाधिकरण
जयपुर न्यायपीठ
RAILWAY CLAIMS TRIBUNAL
JAIPUR BENCH

वाद संख्या :ओ.ए./IIu/127/2020

पीठासीन: उमेश कुमार शर्मा सदस्य (न्यायिक)

संस्थन की तिथि: 06.10.2020
निर्णय की तिथि: 22.02.2024

1. अल्लावंदा उर्फ अल्ला खां, उम्र 34 वर्ष
पुत्र स्व0 श्री शेर खान उर्फ शेर खां
2. जरीना, उम्र 31 वर्ष
पत्नी श्री अल्लावंदा उर्फ अल्ला खां
निवासीयान– श्योपुरा की ढाणी, सीन्दरा,
निवाई, टोंक, राजस्थान ....वादीगण

बनाम

भारत संघ,
द्वारा महाप्रबंधक,
पश्चिम–मध्य रेलवे, जबलपुर ....विपक्षी

उपस्थित: श्री हरिशंकर गौड़, अधिवक्ता वादीगण के लिए
मोहन लाल रोलानिया, अधिवक्ता प्रतिवादी के लिए

निर्णय
JUDGEMENT

श्री उमेश कुमार शर्मा, (सदस्य न्यायिक)

1. वादीगण ने यह दावा आवेदन पत्र, रेल अधिनियम 1989 की धारा 125 सपठित धारा 16 रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल एक्ट 1987 के अंतर्गत, प्रश्नगत अनपेक्षित घटना में वादीगण के पुत्र शारुक उर्फ सारुक उर्फ शाहरुख की चलती ट्रेन से गिरकर मृत्यु हो जाने के कारण क्षतिपूर्ति के रूप में कुल 8,00,000/– आठ लाख रुपए एवं उस पर ब्याज दिए जाने की याचना के साथ प्रस्तुत किया है।

Scanned with OKEN Scanner

2. दावा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार, मृतक शारूक उर्फ सारूक उर्फ शाहरूख (एतद्पश्चात "मृतक" कहा गया है) व उसका चाचा ईशराज कोडाली नागपुर में संतरो के बगीचे में मजदूरी करता था। दोनों अपने गांव निवाई आने के लिए दिनांक 14.03.2020 को शाम कोडाली से रवाना होकर नागपुर आए। मृतक ने नागपुर से एक द्वितीय श्रेणी का मेल/एक्सप्रेस टिकट नंबर 28591159 नागपुर से बनस्थली निवाई का दिनांक 15.03.2020 को खरीदा। मृतक के चाचा ने भी टिकट नंबर 28591158 अलग से खरीदा। मृतक एवं उसके चाचा ईशराज दोनों दिनांक 15.03.2020 को गाडी संख्या 18243 बिलासपुर–भगत की कोठी एक्सप्रेस के द्वितीय श्रेणी के साधारण डिब्बे में उपरोक्त टिकट्स लेकर यात्रा कर रहे थे। उक्त गाड़ी दिनांक 15.03.2020 की शाम सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पहुंची, तो मृतक अपने चाचा से पेशाब करने के लिए कहकर डिब्बे के बाथरूम की ओर गया और कुछ ही समय में गाड़ी के रवाना होने पर सवाई माधोपुर से प्रकाश टाकीज के पास गुजरते समय अकस्मात संतुलन बिगड जाने से मृतक उक्त चलती गाड़ी के डिब्बे में से किलोमीटर संख्या 1027/34 के पास गिर गया। जिसके परिणामस्वरूप मृतक की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। डिब्बे में यात्रियों द्वारा हल्ला मचाया गया किन्तु गाडी नहीं रुकी। गाड़ी संख्या 22921 के चालक द्वारा एक व्यक्ति की डेड बॉडी किलोमीटर नंबर 1027/34 के पास पड़ी होने के संबंध में सूचना स्टेशन मास्टर, सवाई माधोपुर को दी। स्टेशन मास्टर द्वारा सूचना जीआरपी को दी गई। जीआरपी द्वारा शव को सामान्य चिकित्सालय, सवाई माधोपुर में रखवाया गया। मृतक के वापस सीट पर नहीं आने पर यात्रियों से पूछने पर मृतक के चाचा को घटना के संबंध में जानकारी हुई। घटना की सूचना मृतक के परिजन को मृतक के चाचा द्वारा दी गई। चाचा बनस्थली, निवाई पहुंचे तथा मृतक के परिजन के साथ मिलकर सवाई माधोपुर आए। जहां पूछताछ करने पर घटना की जानकारी हुई। परिवार जन सामान्य चिकित्सालय, सवाई माधोपुर पहुंचे तथा मृतक के शव की शिनाख्त की। जीआरपी द्वारा कार्यवाही के

दौरान मृतक के पास मिले टिकट संख्या 28591159 नागपुर से वनस्थली को जरिए फर्द जब्त किया। कार्यवाही के दौरान मृतक के चाचा द्वारा अपना टिकट जीआरपी को सुपुर्द कर देने बताया। मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाना के बाद मृतक के शव को मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार दफना दिया गया।

3. प्रत्यर्थी ने लिखित कथन में दावा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को इनकार करते हुए कथन किया कि घटना के संबंध में श्री दशरथ सिंह, उपनिरीक्षक, रेसुब, सवाईमाधोपुर द्वारा जांच एवं पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों एवं गवाहों की साक्ष्य के अनुसार सवाई माधोपुर–देवपुरा के मध्य कि.मी. 1207/34 जयपुर लाईन पर एक व्यक्ति रनओवर होने की सूचना पर पाया कि एक व्यक्ति की डैड बोडी दो हिस्सों में कटी हुई डाउन लाईन के पास पड़ी है। घटना स्थल पर मृतक के पास कोई भी रेल यात्रा टिकट नहीं मिला। बाद घटना स्थल पर जांच के दौरान जीआरपी द्वारा मृतक द्वारा आत्म हत्या करना जाहिर किया जिसकी प्रविष्टि श्री नारायण सिंह सहायक उपनिरीक्षक रे.सु.बल द्वारा रोजनामचा में की गई। फर्द पंचायतनामा व फर्द सूरत हाल दिनांक 16.03.2020 को बनाया गया जबकि घटना 15.03.2020 की है और उसमें एक भी स्वतंत्र गवाह नहीं है। टिकट की जप्ती नहीं बनी है उस पर केवल जीआरपी के थाना के अधिकारी के हस्ताक्षर है किसी रेल कर्मचारी या स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं है। इसके अतिरिक्त, मृतक का शव गाडी के चक्कों के नीचे आ गया जिस कारण कट गया है। पोस्टमार्टम के अनुसार कोई व्यक्ति यदि गिरता है तो वह ट्रैक से दूर गिरेगा न कि ट्रैक पर। टिकट मैनेज कर प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार उक्त वर्णित घटना में रेल प्रशासन की कोई लापरवाही/कमी नहीं है। इस कारण प्रार्थीगण किसी प्रकार की कोई राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अंत में निवेदन किया कि दावा प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज किए जाने की प्रार्थना की।

Scanned with OKEN Scanner

4. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं ने अभिवचनों के आधार पर, इस वाद में दिनांक 23.06.2021 को निम्नलिखित वाद बिंदु बनाए गए :

1) क्या मृतक प्रश्नगत रेल गाड़ी का सद्भावी यात्री था ?

2) क्या मृतक की मृत्यु से सम्बन्धित घटना रेलवे अधिनियम की धारा–123 (सी) सपठित धारा 124– ए के अन्तर्गत परिभाषित अनपेक्षित घटना की परिधि में आती है ?

3) क्या वादीगण मृतक के आश्रित है ?

4) वादीगण किस उपशम को प्राप्त करने के अधिकारी है ?

5. क्लेम प्रार्थना पत्र के समर्थन में मृतक के पिता एवं चाचानेशपथ पत्र (एडब्ल्यू – 1) एवं (एडब्ल्यू – 2)मुख्य परीक्षण के रूप में प्रस्तुत किया। प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने वादीगण से 18.05.2022 एवं 15.09.2022 को प्रति परीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त वादीगण की ओर से इस दावे के समर्थन में, साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज दाखिल किए गए है :

		प्रदर्श
क.स.	दस्तावेज :	प्रदर्श–1
1.	प्रमाणित प्रति यात्रा टिकट	प्रदर्श–2
2.	प्रमाणित प्रति यात्रा टिकट	प्रदर्श–3
3.	प्रमाणित प्रति मीमो	प्रदर्श–4
4.	प्रमाणित प्रति मर्ग रिपोर्ट	प्रदर्श–5
5.	प्रमाणित प्रति फर्द नक्शा मौका घटना स्थल	प्रदर्श–6
6.	प्रमाणित प्रति फर्द पंचायतनामा सूरत हाल लाश	प्रदर्श–7
7.	प्रमाणित प्रति पोस्टमार्टम रिपोर्ट	प्रदर्श–8
8.	प्रमाणित प्रति फर्द सपुर्दगी लाश	प्रदर्श–9
9.	प्रमाणित प्रति बयान ब्रजमोहन डिप्टी एस एस	प्रदर्श –10
10.	प्रमाणित प्रति बयान ईशराज	प्रदर्श–11
11.	प्रमाणित प्रति बयान बदरूद्दीन	प्रदर्श–12
12.	प्रमाणित प्रति बयान शाकीन	प्रदर्श–13
13.	आधार कार्ड अल्लाबंदा	प्रदर्श–14
14.	आधार कार्ड जरीना	प्रदर्श–15
15.	सत्य प्रति अल्प संख्यक प्रमाण पत्र	प्रदर्श–16
16.	सत्य प्रति परिवार राशन कार्ड	

Scanned with OKEN Scanner

6. प्रत्यर्थी रेलवे द्वारा जवाव प्रार्थना पत्र, डीआरएम रिपोर्ट एवं जांच अधिकारी रेसुब सवाईमाधोपुर की जांच रिपोर्ट को प्रस्तुत की। प्रत्यर्थी रेलवे ने साक्ष्य के रूप में नारायण सिंह (आरडब्ल्यू –1) एवं दशरथ सिंह (आरडब्ल्यू –2) को न्यायालय के समक्ष प्रति परीक्षण के लिए प्रस्तुत किया, जिससे वादीगण के अधिवक्ता द्वारा दिनांक23.08.2023 एवं 27.09.2023 को प्रति परीक्षण किया गया।

7. उभयपक्षों की बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् विवाधकों की विवेचना इस प्रकार है :

निर्णय के कारण
Decision with Reasons

<u>विवाधक संख्याः 01</u>

8. वादीगण की ओर से मृतक के पिता द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि मेरे मृतक पुत्र व मेरे भाई ईशराज कोडाली नागपुर में संतरो के बगीचे में मजदूरी करते थे। दोनों अपने गांव निवाई आने के लिए दिनांक 14.03. 2020 को शाम कोडाली से रवाना होकर नागपुर आए। मेरे मृतक पुत्र ने नागपुर से एक द्वितीय श्रेणी का मेल/एक्सप्रेस टिकट नंबर 28591159 नागपुर से बनस्थली निवाई का दिनांक 15.03.2020 को खरीदा। मेरे भाई ने भी टिकट नंबर 28591158 अलग से खरीदा। मृतक एवं उसके मामा ईशराज दोनों दिनांक 15.03.2020 को गाडी संख्या 18243 बिलासपुर–भगत की कोठी एक्सप्रेस के द्वितीय श्रेणी के साधारण डिब्बे में उपरोक्त टिकट्स

Scanned with OKEN Scanner

लेकर यात्रा कर रहे थे। जीआरपी द्वारा आवश्यक कार्यवाही के दौरान मेरे पुत्र के पास मिले रेल यात्रा टिकट संख्या 28591159 नागपुर से वनस्थली को जरिए फर्द जब्त किया। मेरे भाई का टिकट भी जीआरपी ने ले लिया।

09. रेल अधिनियम 1989 की धारा 2(29) यात्री को परिभाषित करती है "यात्री" से किसी विधिमान्य पास या टिकट से यात्रा करने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है।

10. दूसरी तरफ प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान कथन किया गया कि घटना के समय घटना स्थल पर मृतक के पास तलाशी के दौरान किसी प्रकार का रेल यात्रा टिकट नहीं मिला था। पंचनामा व फर्द सूरत हाल दिनांक 16.03.2020 को बनाया गया है, जबकि घटना दिनांक 15.03.2020 की है। मौके पर किसी प्रकार की फर्द जब्ती नहीं बनी थी। उस पर केवल जीआरपी के थाना अधिकारी के हस्ताक्षर है किसी स्वतंत्र गवाह या रेल कर्मचारी के समक्ष जब्ती नहीं हुई है, जिससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि टिकट फर्जी तरीके से घटना के बाद मैनेज किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, मृतक और उसके चाचा के टिकट्स नंबर के नंबर भी अलग अलग होने के बारे में न्यायालय को अवगत कराया।

11. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी अधिवक्ता की बहस में कोई बल नहीं हैं। वादीगण के द्वारा क्लेम याचिका के साथ मृतक एवं उसके चाचा की यात्रा टिकट्स की प्रति प्रदर्श ए–1 एवं प्रदर्श ए–2 के रूप

Scanned with OKEN Scanner

में प्रस्तुत की गई है। मृतक के पास यात्रा टिकट प्रदर्श ए–1 जिसका सत्यापन प्रत्यर्थी रेलवे द्वारा करवाया गया, जो सत्यापन रिपोर्ट में जारी होना स्वीकार किया गया है। इसके अतिरिक्त, मृतक के चाचा (मृतक का सहयात्री) द्वारा यात्रा टिकट की प्रति जीआरपी को भी सुपुर्द की गई थी। जिसका उल्लेख क्लेम याचिका एवं शपथ पत्र में भी किया है। न्यायालय के समक्ष प्रति परीक्षण के दौरान मृतक के चाचा ईशराज द्वारा कथन किया गया है कि "हम ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। टिकट अलग अलग खरीदे गए थे। हम रास्ते में कहीं नहीं उतरे थे। मैं पन्द्रह तारीख को घर पहुंचा था। दिनांक 16 को सवाईमाधोपुर पहुंचने के बाद मेरे द्वारा पुलिस को टिकट दिया गया"। न्यायालय के समक्ष प्रति परीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार का विरोधाभासी कथन सामने नहीं आया। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी रेलवे की ओर से साक्ष्य के रूप में जिन गवाहों को प्रस्तुत किया वह घटना के चश्मदीद गवाह नहीं है तथा मृतक की जमा तलाशी उनके समक्ष नहीं हुई। जिससे साबित होता है कि मृतक वैध यात्रा टिकट लेकर यात्रा कर रहा था।वादीगण के विद्वान अधिवक्ता की इस दलील से मैं पूर्णत सहमत हूं कि वादीगण ने टिकट से संबंधित तथ्य को साबित किया है। फर्द पंचायतनामा एवं फर्द सूरत हाल लाश प्रदर्श ए–6 में भी मृतक की पेंट की जेब में मिले टिकट का स्पष्ट रूप से उल्लेख है। इसके विपरीत प्रत्यर्थी रेलवे जिस पर यात्री बिना टिकट यात्रा कर रहा था उसको साबित करने का भार था, इस तथ्य को साबित करने में पूर्णत विफल रहा है। अतः सद्भावी यात्री होने के

कारण यह विवाधक वादीगण के पक्ष में एवं प्रत्यर्थी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

विवाधक संख्याः 02

12. वादीगण के अधिवक्ता ने अभिकथन किया है कि मृतक व उसका चाचा दोनों अपने गांव निवाई आने के लिए दिनांक 14.03.2020 को शाम कोडाली से रवाना होकर नागपुर आए। मृतक शारूक उर्फ सारूक उर्फ शाहरूख एवं उसके चाचा ईशराज दोनों दिनांक 15.03.2020 को गाड़ी संख्या 18243 बिलासपुर–भगत की कोठी एक्सप्रेस के द्वितीय श्रेणी के साधारण डिब्बे में उपरोक्त टिकट्स लेकर यात्रा कर रहे थे। उक्त गाड़ी दिनांक 15.03.2020 की शाम सवाईमाधोपुर रेलवे स्टेशन पहुंची, तो मृतक अपने चाचा से पेशाब करने के लिए कहकर डिब्बे के बाथरूम की ओर गया और कुछ ही समय में गाड़ी के रवाना होने पर सवाईमाधोपुर से प्रकाश टाकीज के पास गुजरते समय अकस्मात संतुलन बिगड़ जाने से मृतक उक्त चलती गाड़ी के डिब्बे में से किलोमीटर संख्या 1027/34 के पास गिर गया। जिसके परिणामस्वरूप मृतक की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई।

13. इसके विपरीत प्रत्यर्थी अधिवक्ता ने कथन किया कि मृतक का शव दो भागों में डाउन लाईन के पास कटा हुआ मिला था। बाद घटना स्थल पर जांच के दौरान जीआरपी द्वारा मृतक द्वारा आत्म हत्या करना जाहिर किया जिसकी प्रविष्टि श्री नारायण सिंह सहायक उपनिरीक्षक रे.सु.बल द्वारा रोजनामचा में की गई। इसके अतिरिक्त, मृतक का शव गाड़ी के चक्कों के

Scanned with OKEN Scanner

नीचे आ गया जिस कारण कट गया है। पोस्टमार्टम के अनुसार कोई व्यक्ति यदि गिरता है तो वह ट्रैक से दूर गिरेगा न कि ट्रैक पर। इस प्रकार उक्त वर्णित घटना में रेल प्रशासन की कोई लापरवाही/कमी नहीं है। इस कारण प्रार्थीगण किसी प्रकार की कोई राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अंत में निवेदन किया कि दावा प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज किए जाने की प्रार्थना की।

14. वादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने दावे के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय प्रमोद कुमार बनाम भारत संघ, सदाशिव रामप्पा कोटियान बनाम भारत संघ, सुशीला देवी बनाम भारत संघ वाले निर्णयों का अवलंब लिया है।

15. रेल अधिनियम, 1989 की धारा 123 (ग) अप्रत्याशित घटना को परिभाषित करती है। रेल दावा अधिनियम, 1989 की धारा 123(ग)(2) के अंतर्गत अप्रत्याशित घटना का तात्पर्य है– "यात्रियों को वहन करने वाली किसी रेलगाड़ी से किसी यात्री का दुर्घटनावश गिर जाना"

16. फर्द पंचायतनामा व फर्द सूरत हाल लाश के पैरा 5 में यह अंकित है कि "मृतक शाहरूख खान के शरीर पर कत्थई कलर का पेन्ट व चौकडी दार शर्ट व बनियान व काले रंग की चूढी व जिसका शरीर ट्रेन से गिरकर टकराने से धाडी दो टुकडों में हो गयी व शरीर पर बायां हाथ पंजे से कट गया व दायां हाथ आधा हाथ कटा हुआ है व सिर पर गहरी चोट है। व शरीर चित अवस्था में है। मृतक की पेन्ट की जेब में मिले रेल टिकट साधारण श्रेणी II UFF28591159 नागपुर से मिथाई तक को सफेद कागज पर चस्पा कर शामिल पत्रावली किया गया।

Scanned with OKEN Scanner

17. इसी प्रकार, डीआरएम रिपोर्ट के निष्कर्ष में वर्णित तथ्य कि " वर्णित घटना में सम्बंधित दस्तावेजों और बयानों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि दिनांक 15.03.2020 को यात्रा के दौरान मृतक के डोंगलेट जाने के दौरान मृतक गाडी से गिरा जिससे स्वयं मृतक की लापरवाही दर्शित होती है, क्यों कि यात्रा के दौरान मृतक द्वारा सतर्कता नियमों का पालन नहीं किया गया जिस कारण घटना कारित हुई। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह स्पष्ट है कि मृतक मृतक शारुक उर्फ सारुक उर्फ शाहरुख साथ दुर्घटना यात्री गाडी के डिब्बे में से नीचे गिरने के कारण हुई है जो रेल अधिनियम, 1989 की धारा 123(ग)(2) के अंतर्गत अनपेक्षित घटना की श्रेणी में आता है।

18. इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी रेलवे द्वारा किसी प्रकार की ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिसने घटना को होते हुए देखा हो या घटना का चश्मदीद गवाह हो। पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजों में भी मृतक की मृत्यु चलती ट्रेन से गिरने के कारण होना ही प्रतीत होता है।अतः विवाधक सं. 2 पर निर्णय वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादी रेलवे के विरुद्ध निर्णीत किया जाता है।

<u>विवाधक संख्या : 3 एवं 4</u>

19. अप्रिय दुर्घटना में मृतक की मृत्यु हो जाने के कारण मृतक के माता–पिता द्वारा क्लेम याचिका प्रस्तुत की गई थी। न्यायालय के समक्ष वादीगण

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 01 अल्ला बंदा उर्फ अल्ला खाने अपने शपथ पत्र के द्वारा यह अभिसाक्ष्य दिया है कि प्रस्तुत वादीगण ही मृतक के आश्रित हैं। वादीगण ने आश्रितता को सिद्ध करने के लिए आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड को प्रस्तुत किया है। दूसरी ओर, प्रत्यर्थी की ओर से वादीगण की आश्रितता के विषय में वादीगण के मामले को खंडित किए जाने के लिए कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, दावा आवेदन के लंबित रहने के दौरान, इस अधिकरण के समक्ष किसी ने भी उपस्थित होकर मृतक पर आश्रित होने के संबंध में कोई दावा नहीं किया है। इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकलता है कि केवल मौजूदा वादीगण ही मृतक के आश्रित हैं। अतः यह वाद बिन्दु भी तदनुसार वादीगण के पक्ष में विनिश्चित किये जाते हैं।

आदेश
ORDER

20. वादीगण की याचिका स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी रेलवे प्रशासन को क्षतिपूर्ति के रूप में दुर्घटना की तिथि, अर्थात् 15.03.2020 से राशि प्रदान करने की तिथि तक 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर के साथ वादीगण को 8,00,000/- (अक्षरे आठ लाख रुपए) की राशि भुगतान किए जाने के निर्देश दिए जाते हैं।

21. प्रत्यर्थी रेल प्रशासन को एतद्वारा निर्णय की तिथि से 60 दिन की अवधि में इस अधिकरण के अपर रजिस्ट्रार के पास निर्णित राशि जमा कराने के निर्देश दिए जाते हैं। इसमें विफल रहने पर वादीगण दुर्घटना तिथि अर्थात् 15.03.2020 से अपर रजिस्ट्रार के पास राशि जमा कराने की वास्तविक तिथि तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने के हकदार होगा।

Scanned with OKEN Scanner

22. वादीगण को क्षतिपूर्ति की कुल निर्णित राशि अर्थात् 8,00,000/- (आठ लाख रूपए) का भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा :-

वादीगण(णों) का नाम	वादीगण के बचत खाते में ईसीएस के माध्यम से एनईएफटी/आर टीजीएस के द्वारा तत्काल भुगतान की जाने वाली राशि	राष्ट्रीयकृत बैंक के आवधिक जमा योजना में निवेश की जाने वाली राशि और इस पर वादीगण के बचत खाते में जमा किए जाने वाला ब्याज
अल्ला बंदा उर्फ अल्ला खां पुत्र स्व0 श्री शेर खान उर्फ शेर खां, (मृतक के पिता)	40,000/- चालीस हजार रूपए संपूर्ण ब्याज सहित।	3,60,000/-(तीन लाख साठ हजार रूपए मात्र) यह राशि तीन साल के लिए आवधिक जमा के रूप में रखी जाएगी। उक्त राशि पर अर्जित ब्याज प्रति माह वादीगण के बचत खाते में जमा किया जाए।
जरीना पत्नी श्री अल्लाबंदा उर्फ अल्ला खां (मृतक की माता)	40,000/- चालीस हजार रूपए।	3,60,000/-(तीन लाख साठ हजार रूपए मात्र) यह राशि तीन साल के लिए आवधिक जमा के रूप में रखी जाएगी। उक्त राशि पर अर्जित ब्याज प्रति माह वादिया के बचत खाते में जमा किया जाए।

23. वादीगण को एतद्वारा रेल दुर्घटना तथा अनपेक्षित दुर्घटनाएं (क्षतिपूर्ति) नियम 1990 की अनुसूची संलग्नक-1 में उल्लिखित उनके निवास स्थान के नजदीक स्थित किसी राष्ट्रीय कृत बैंक के उनके आधार से जुड़े बैंक खाता विवरण इस अधिकरण के अपर रजिस्ट्रार के पास जमा कराने के निर्देश दिए जाते हैं।

(क) बैंक प्रशासन वादीगण के बचत खाता या फिक्स्ड डिपोजिट खाता में किन्हीं भी नाम (नामों) को जोड़ने की अनुमति नहीं देगा अर्थात्वादीगण का उनका स्वयं का होगा और संयुक्त बैंक खाता नहीं होगा।

(ख) वादीगण संख्या 01 के उपर्युक्त बचत बैंक खाता में मासिक ब्याज इलेक्ट्रोनिक क्लीयरिंग सिस्टम से जमा कराया जाए ।

(ग) एफडीआर की परिपक्वता राशि को के बचत बैंक खातों में इलेक्ट्रोनिक क्लीयरिंग सिस्टम(ईसीएस) के द्वारा की जाए ।

(घ) आवधिक जमा (फिक्स्ड डिपोजिट) पर किसी भी प्रकार का ऋण, अग्रिम, निकासी या समय–पूर्व अदायगी का इस अधिकरण की बिना अनुमति के अनुमति नहीं होगी ।

(ङ.) संबंधित बैंक समस्त वादीगणों को कोई भी चैक बुक या डेबिट कार्ड जारी नहीं करेगा। तथापि, डेबिट कार्ड और चैक बुक पहले जारी कर दिए जाने की स्थिति में, बैंक निर्णय राशि के वितरण से पूर्व इसे निरस्त कर देगा /बैंक प्रशासन प्रार्थियों के खाते को फ्रीज(बंद) कर दगा ताकि इस बैंक की किसी अन्य शाखा से प्रार्थियों के खाते का कोई भी डेबिट कार्ड जारी नहीं किया जाए ।

(च) बैंक वादीगणकी पास बुक पर इस आशय का पृष्ठांकन करेगा कि कोई भी चैक बुक या डेबिट कार्ड जारी नहीं किया गया है या इस अधिकरण की बिना अनुमति के जारी किया जाएगा और वादीइस अधिकरण के अपर रजिस्ट्रार के समक्ष पास बुकों को विधिवत हस्ताक्षर करके आवश्यक पृष्ठांकन तथा बैंक की मुहर सहित प्रस्तुत करेंगे। इसके पश्चात् बैंक वादीगण 01 को निकासी फॉर्म के जरिए ही अपने बचत बैंक खाता से धन निकासी की अनुमति देगा।

Scanned with OKEN Scanner

(छ) प्रत्यर्थी रेलवे प्रशासन को आज तक के ब्याज सहित, यदि कोई हो गणना–पत्रक सहित निर्णय–राशि को जमा कराने के साक्ष्य को रिकार्ड पर रखने के भी निर्देश दिए जाते हैं और इसे अपर रजिस्ट्रार के पास फाइल करेंगें।

24. इस मामले के तथ्यों व परिस्थितियों में, तथापि खर्चे के व्यय हेतु कोई भी आदेश नहीं है।

25. रजिस्ट्री को रेलवे दावा अधिकरण, (प्रक्रिया) नियम, 1989 के नियम, (1989) के नियम 34(3)के लिहाज से प्रार्थियों को दावा आवेदन में उल्लिखित उनके डाक के पते पर इस निर्णय की सत्यापित प्रति निःशुल्क भेजने के निर्देश दिए जाते हैं।

यह निर्णय आज दिनांक 22.02.2024 को हस्ताक्षरित व मुहर लगाकर जारी किया गया।

(उमेश कुमार शर्मा)
सदस्य (न्यायिक)
रेदाअ/जयपुर पीठ
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner